

एफ. नं. 6/11/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29.04.2024

चीन पीआर और संयुक्त राज्य अमेरिका से पोटेशियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड (केटीबी) के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में पीयूसी/पीसीएन पद्धति ; और चीन पीआर से सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड (एसटीबी) का आयात।

सभी इच्छुक पक्ष,

प्राधिकरण ने दिनांक 29.04.2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से उपरोक्त विषय पर चर्चा की है। हालाँकि, सभी इच्छुक पक्षों ने बैठक के दौरान प्रस्तुत किया है कि इस विषय की जांच में पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बदलने के लिए कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

तदनुसार, प्राधिकरण ने पीसीएन के बिना जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था और पीयूसी का दायरा दिनांक 28.03.2024 की आरंभिक अधिसूचना के अनुसार ही बना रहेगा।

सभी इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे दिनांक 28.03.2024 की आरंभिक अधिसूचना में निर्धारित अनुसार अपना प्रत्युत्तर दाखिल करें।

एसडी/-

राजीव कुमार सोनी

निदेशक (एफटी)

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in

फ़ोन: 011-23408728